फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

भीवाराम बनाम ग्राम पंचायत कालाखो वगै0

किस्म मुकदमा–अपील

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

मु0नं0– 02 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.06.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अपीलाण्ट अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की आराजी भूमि वाके ग्राम कालाखो में स्थित है उक्त भूमि में पिता भौरया पुत्र रामधन जाति मीना निवासी कालाखो की मृत्यु उपरान्त जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 749 निर्णय दिनांक 20.07.2010 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत कालाखो प्राप्त हुई है। चूंकि पिता की मृत्यू के बाद अब माता की भी मृत्यू हो गई है इसलिए अब वर्तमान में इन दोनो के वारिस केवल मात्र अपीलाण्ट है। उक्त नामान्तकरण संख्या 749 भरते समय अपीलाण्ट संख्या 1 का नाम भूलवश भीवाराम के स्थान पर भीमाराम अंकित कर दिया जो कि गलत है इसलिए उक्त नामान्तकरण निरस्त कर पुनः सही नाम दर्ज करते हुए नामान्तकरण दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जावे। अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का मनन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा पेश अपील के साथ पेश दस्तावेजात के अवलोकन से अपीलाण्ट संख्या 1 का सही नाम भीवाराम है इसलिए अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत कालाखो द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 749 निर्णय दिनांक 20.07.2010 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बहरावण्डा को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट का सही नाम दर्ज करते हुए पुनः नामान्तकरण दर्ज करें। तहसीलदार बहरावण्डा को तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	